पत्र संख्या–6(स0)/**विविध (अम्बापाली)**–06/2016–

बिहार सरकार
उद्योग विभाग,

स्वीकृत्यादेश

सेवा में,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

द्वारा– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक–

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में अम्बापाली बिहार इम्पोरियम, खड़गसिंह मार्ग, नई दिल्ली के पुर्नरूद्धार के संबंध में रू0 2,98,96,000.00 (दो करोड़ अनठानवें लाख छियानबें हजार) रूपये की आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा) से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के विरूद्ध अंतिम किस्त के रूप में रू0 99,48,000/–(निनानबें लाख अड़तालीस हजार) मात्र व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेशः– स्वीकृत।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या–6(स0)/**विविध (अम्बापाली)**–06/2016–3275 दिनांक–01.08.17 के क्रम में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में अम्बापाली बिहार इम्पोरियम, खड़गसिंह मार्ग, नई दिल्ली के पुर्नरूद्धार के संबंध में कार्य प्रारंभ करने हेतु इस स्कीम के लिए रू0 50.00 (पचास) लाख मात्र की व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी थी तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 में उक्त इम्पोरियम के पुनुरूद्धार कार्य हेतु स्वीकृत परियोजना राशि में से सरकार द्वितीय किस्त के रूप में रू0 1.4948 करोड़ (एक करोड़ उनचास लाख अड़तालीस हजार) की व्यय की स्वीकृति प्रदान करने की गयी थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में उक्त इम्पोरियम के पुनुरूद्धार कार्य हेतु स्वीकृत प्राक्कलित परियोजना राशि में से सरकार ने अंतिम किस्त के रूप में रू0 99,48,000/–(निनानबें लाख अड़तालीस हजार) मात्र की व्यय की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत अम्बापाली बिहार इम्पोरियम, खड़गसिंह मार्ग, नई दिल्ली जो बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण इम्पोरियम है, जिसकी वर्तमान स्थिति अन्य राज्यों यथा–तमिलनाडु, गुजरात आदि की तुलना में अच्छी नहीं है, जिसके कारण राज्य के शिल्पियों को अपने उत्पादनों के प्रर्दशनी एवं गुणवत्ता वाले बिक्री सुविधा से बंचित होना पड़ रहा है। अतः इस इम्पोरियम को अन्य राज्यों की तरह विकसित एवं Renovation हेतु राशि का व्यय परियोजना के कार्यान्वयन एजेंसी आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार है के माध्यम से किया जाएगा।

3. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय बजट मुख्य शीर्ष–2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–80 सामान्य, लघु शीर्ष–102–औद्योगिक उत्पादकता, उप शीर्ष–0163–व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन विकास एवं रख रखाव–बिहार व्यापार विकास कोष, विपत्र कोड–23–2852801020163 अन्तर्गत विषय शीर्ष 0163.27.01 लघु कार्य मद से की जाएगी, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में यथेष्ट बजट उपबंध प्राप्त है।

4. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होगें, जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से एक मुश्त अग्रिम राशि की निकासी कर प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, बिहार, पटना के पी0 एल0 खाता संख्या–268 में उपलब्ध करायेगें।

5. इस स्कीम के मुख्य नियंत्री, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण पदाधिकारी, अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होगें। स्कीम से संबंधित व्यय विवरणी मूल प्रमाणक प्राप्त कर समुचित जाँचोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित कर डी0 सी0 विपत्र में राशि का समायोजन हेतु प्रतिवेदन महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को प्रेषित करेंगे।

(कृ0 पृ0 उ0)

6. स्वीकृत राशि योजना कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन एजेंसी आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार को दी जा रही है। प्रायः यह देखा गया है कि कार्य एजेंसी को एक बड़ी राशि उपलब्ध कराने के पश्चात लंबे समय तक योजना का कार्यान्वयन पूर्ण नहीं किया जाता है अथवा आधे–अधूरे कार्य किये जाते हैं, जिससे व्यय से संबंधित आधे–अधूरे उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को उपलब्ध कराने के कारण सकल राशि का सामांजन अवरूद्ध हो जाता है। साथ ही साथ आगे की अवधि में प्राक्कलित राशि की शेष राशि की स्वीकृति में कठिनाई के कारण योजनाएँ अपूर्ण रह जाती हैं। अतः कार्य एजेंसी योजना के कार्यान्वयन हेतु एक निश्चित समय–सीमा का निर्धारण करेगें तथा राशि का व्यय निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत करेगें। समय पर राशि का व्यय नहीं किये जाने पर कार्य एजेंसी पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

7. राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक 4263 वि0, दिनांक 20.05.14 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के अनुसार की जाएगी। प्रस्ताव में विभागीय प्रधान सचिव की स्वीकृति संचिका संख्या–6(स0)/**विविध (अम्बापाली)**–06/2016 (पृ0 34/टि0) पर दिनांक–26.02.18 को प्राप्त है।

8. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 8003 वि0 (2) दिनांक 18.09.2008 में निहित पत्रांक 2561 वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 की कंडिका–2 एवं पत्रांक 2938 वि0 (2) दिनांक 08.04.08 के आलोक में किया जाएगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

9. वित्त विभागीय पत्रांक 7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश

ह0/–

(प्रदीप कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–6(स0)/**विविध (अम्बापाली)**–06/2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(प्रदीप कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–6(स0)/**विविध (अम्बापाली)**–06/2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(प्रदीप कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–6(स0)/**विविध (अम्बापाली)**–06/2016– 1177 /पटना, दिनांक–19.03.18

प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/स्कीम एवं विकास विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य लघु उद्योग निगम, पटना/अपर सचिव कोषांग, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6(स0), उद्योग विभाग को तीन प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(1)

आई० टी० मैनेजर

(प्रदीप कुमार)
सरकार के अपर सचिव।
19/3/18